लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462021

ई–मेल dpi.atithi@gmail.com

क्रमांक / अति.शि. / मानदेय / 2025–26 / 416 भोपाल, दिनांक– 22/01/2026

प्रति

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला– आगर–मालवा, भिण्ड, देवास, झाबुआ,
खरगोन, मंदसौर, मुरेना, राजगढ़, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी मध्यप्रदेश

URGENT

विषयः–अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय भुगतान के संबंध में।

संदर्भः–लोक शिक्षण संचालनालय का पत्र क्र / 398 दिनांक 16.01.2026।

/ / 0 / /

उक्त संदर्भित पत्रानुसार अप्रैल 2025 के पूर्व सत्रों में आमंत्रित किये अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय भुगतान की जानकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रमाणीकरण के साथ दिनांक 20.01.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे संचालनालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु नियत तिथि को आप उपस्थित नहीं हुए, यह अत्यंत खेदजनक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं, कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार संलग्न निर्धारित प्रारूप में विकासखण्डवार जानकारी प्राप्त कर दिनांक 27.01.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे संचालनालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उपस्थित न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कृपया इसे प्राथमिकता दें। अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा।

संलग्नः– संदर्भित पत्र एवं प्रमाणीकरण का प्रारूप।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / अति.शि. / मानदेय / 2025–26 / 417 भोपाल, दिनांक– 22/01/2026

प्रतिलिपि –

1. संबंधित विकासखण्ड अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल—462021

ई—मेल dpi.atithi@gmail.com

क्रमांक / अति.शि. / मानदेय / 2025—26 / 398

प्रति

भोपाल, दिनांक— 16-01-2026

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला— आगर—मालवा, भिण्ड, देवास, झाबुआ,
खरगोन, मंदसौर, मुरेना, राजगढ़, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी मध्यप्रदेश

विषयः—अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय भुगतान के संबंध में।

संदर्भः—1. संचालनालय का पत्र क्र / 123 दिनांक 28.04.2025 ।
2. संचालनालय का पत्र क्र / 167 दिनांक 21.05.2025 ।
3. संचालनालय का पत्र क्र / 301 दिनांक 16.09.2025 ।

//0//

उक्त संदर्भित पत्रानुसार अप्रैल 2025 के पूर्व सत्रों में आमंत्रित किये अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय भुगतान की जानकारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रमाणीकरण के साथ एकजाई कर जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जानकारी विशेष वाहक के हस्ते संचालनालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे किन्तु आज तक आपके जिले से काई भी उपस्थित नहीं हुआ, यह अत्यंत खेदजनक हैं, और नियमों की अवहेलना है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता हैं, कि संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार विकासखण्डवार जानकारी प्राप्त कर दिनांक 20.01.2026 को अपरान्ह 12:00 बजे संचालनालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यह अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि अप्रैल 2025 के पूर्व सत्रों में आमंत्रित किये अतिथि शिक्षकों के लंबित मानदेय भुगतान से संबंधित शिकायत संचालनालय स्तर पर प्राप्त होती है, तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को होगा।

संलग्नः— संदर्भित पत्र।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / अति.शि. / मानदेय / 2025—26 / 399

प्रतिलिपि —

भोपाल, दिनांक— 16-01-2026

1. संबंधित विकासखण्ड अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

जिला – ....

विकासखण्ड – ....

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विकासखण्ड .... में अप्रैल 2025 तक के मानदेय का भुगतान किया जा चुका है तथा किसी भी अतिथि शिक्षक का मानदेय लंबित नही है।

अथवा

निम्नानुसार अतिथि शिक्षकों को छोड़कर शेष समस्त अतिथि शिक्षकों का अप्रैल 2025 तक का मानदेय भुगतान किया जा चुका है। लंबित भुगतान का विवरण निम्नानुसार है –

विकासखण्ड का नाम .... डी.डी.ओ.कोड ....

क्र.	स्कूल का नाम	डाइस कोड	अतिथि शिक्षक का नाम	वर्ग	लंबित भुगतान माह एवं वर्ष	कुल लंबित राशि	लंबित भुगतान का कारण	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
कुल								

अतः लंबित मानदेय भुगतान हेतु राशि रूपये ....डी.डी.ओ. में प्रदान करने का अनुरोध है।

मै यह प्रमाणित करता हुँ कि –

- उक्त सूची के अतिरिक्त मानदेय भुगतान का प्रकरण शेष नही है।
- इन अतिथि शिक्षकों का पूर्व में मानदेय भुगतान नहीं किया गया है।
- अतिथि शिक्षकों को नियमानुसार रखा गया है।
- अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति पंजी के आधार पर संबंधित द्वारा किए गए कार्य का प्रमाणीकरण कर लिया गया है।

समस्त दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत राशि की मांग की जा रही है।

हस्ताक्षर

नाम :– ....

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी

जिला .... म.प्र.

जिला शिक्षा अधिकारी का प्रमाणीकरण

मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है, विकाखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से मै सहमत हुँ।

जिला शिक्षा अधिकारी